JK Cement Ltd.
CIN: L17229UP1994PLC017199
Registered Office
Kamla Tower, Kanpur - 208001, U.P., India
+91-512-2371478 to 85 +91-512-2399854
shambhu.singh@jkcement.com
www.jkcement.com

JKCL/CS/BSE-35/NSE-47/2021-22/

August 31, 2021

The Bombay Stock Exchange Ltd.,
Corporate Relationship Department,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400001
Scrip Code:532644 (ISIN.INE 823G01014) |
Through BSE Listing Centre

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400051
Scrip Code: JKCEMENT
(ISIN.INE823G01014)
Through : NEAPS

Subject: Newspaper Insertion about despatch of Postal Ballot Notice on 27.8.2021

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper insertion about despatch of Postal Ballot Notice on 27.8.2021, published on Saturday, August 28, 2021 in the following newspapers:

1. **Business Standard (English), All Editions**
2. **Business Standard (Hindi), All Editions**
3. **Hindustan (Hindi), Kanpur Edition**

This is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully,

For J.K. Cement Ltd

Shambhu Singh)
Head (Legal) & Company Secretary
M.No.FCS-5836

Encls: As Above

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Regd. Office:- 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552.

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing Finance Limited., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notices to the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrower, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules.

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the TATA Capital Housing Finance Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date mentioned below.

The borrower's attention is invited to provisions of sub- section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Loan A/c No.	Name of Obligor(s)/ Legal Heir(s)/ Legal Representative(s)	Demand Notice Amount & Date	Date of Possession
9713149	**Mr. Gaurav Kumar Aggarwal** as Borrower & **Mrs. Anchal Aggarwal** as Co- Borrower	**Rs. 43,34,417/-** as on 26.12.2019	**24/08/2021 (Physical)**

Description of Secured Assets/Immovable Properties: All That Commercial Shop bearing Municipal Corporation No. 13/1289/2 Without Roof rights Area Admeasuring 10.18 Sq. yards i.e. 8*51 Sq. Mtr. Situated at Locality CHAH, Mangu kayan, Saharanpur, U.P.-247001 **Bounded in the Manner as Follow:** North: Seller Shop, East: Seller Shop, West: Road, South: Shop of Kusumlata.

Date : 24.08.2021 Sd/- Authorized Officer

Place : Sahranpur For Tata Capital Housing Finance Limited

SBI

State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch
3rd Floor, Matrix Mall, Sector – 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan) -302004, **E-mail :** sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184, **Tel.:** 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)]

E-Auction Sale notice for sale of immovable property

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised officer of State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor, will be e-auctioned on **"As is where is", "As is what is", "whatever there is"** and "without recourse" basis on **15.09.2021**, for recovery of **Rs. 27,23,128.00 (Rupees Twenty Seven Lac Twenty Three Thousand One Hundred Twenty Eight Only)** inclusive of interest upto 02.09.2019 plus further interest, cost,charges& other expenses etc due to the **State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.)** (Secured Creditor) from Borrower **Sh. Sanwar Mal Saini S/o Sh. Tej Mal Saini** & Sh. Manohar Lal Saini S/o Sh. Tej Mal Saini. The reserve price and earnest money will be as per below mentioned, the latter amount to be deposited as per procedure detailed in Terms and Conditions of the Auction at the Bank's / MSTC website on or before **14.09.2021.**

S. No	Description of the Immovable Property	1. Reserve Price 2. EMD Amount	Time
1	All the part and partial of Flat No. 706, 6th Floor, Gurushikhar, Block-I, Village- Nanakpura, Hema Ki Nangal, Sanganer, Jaipur, (Raj.) Standing in the name of Sh. Sanwar Mal Saini S/o Sh. Tej Mal Saini & Sh. Manohar Lal Saini S/o Sh. Tej Mal Saini. Total Measuring Area: Built up area 1285.60 Sqft. & Super Built up area 1607 Sqft. CERSAI ID- 200007228269	**1.Rs. 25.95 Lac** **2. Rs. 2.60 Lac**	From 11:30 AM to 12.00 AM

For detailed Terms and Conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor's **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others** and **https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx**

Date: 24.08.2021 Place: Jaipur (Raj.) Authorised Officer

SBI

State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch
3rd Floor, Matrix Mall, Sector – 4, Jawahar Nagar, Jaipur (Rajasthan) -302004, **E-mail :** sbi.18184@sbi.co.in, Branch Code-18184, **Tel.:** 0141-2657811, 2657921, 2657926, 2657989

"APPENDIX-IV-A" [See proviso to rule 8(6)]

E-Auction Sale notice for sale of immovable property

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described the immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised officer of **State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.)** Secured Creditor, will be e-auctioned on **"As is where is", "As is what is", "whatever there is"** and **"without recourse"** basis on 15.09.2021, for recovery of **Rs. 27,21,363.00 (Rupees Twenty Seven Lakh Twenty One Thousand Three Hundred Sixty Three Only)** inclusive of interest upto **10.10.2019** plus further interest, cost,charges& other expenses etc.due to the **State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.)** (Secured Creditor) from Borrower Smt. Krishna Saini W/o Sh. Subhash Saini. The reserve price and earnest money will be as per below mentioned, the latter amount to be deposited as per procedure detailed in Terms and Conditions of the Auction at the Bank's / MSTC website on or before **14.09.2021.**

S. No.	Description of the Immovable Property	1. Reserve Price 2. EMD Amount	Time
1	All the part and partial of Flat No. 606, 5th Floor, Block-I, Gurushikhar, Village- Nanakpura, Hema Ki Nangal, Sanganer, Jaipur, (Raj.) Standing in the name of Smt. Krishna Saini W/o Sh. Subhash Saini. Total Measuring Area: - Built up area 1285.60 Sq. ft. & Super built area 1607 Sqft. CERSAI ID- 200007228540	**1.Rs. 25.95 Lac** **2.Rs. 2.60 Lac**	From 01.30 to 02.00 PM

For detailed Terms and Conditions of the sale, please refer to the link provided in State Bank of India, Stressed Assets Recovery Branch (SARB), Jaipur (Raj.) Secured Creditor's **https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others** and **https://ibapi.in/Sale_Info_Home.aspx**

Date: 24.08.2021 Place: Jaipur (Raj.) Authorised Officer

punjab national bank

SASTRA DIVISION, 3RD FLOOR, EAST WING
PLOT No.4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI - 110075
(email:horecovery@pnb.co.in)

SHOW CAUSE NOTICE

ORDER OF THE COMMITTEE FOR IDENTIFICATION OF WILFUL DEFAULTERS PASSED IN PROCEEDINGS CONDUCTED AT SYNDICATE ROOM, HEAD OFFICE ON 23.06.2020

M/s Base Corporation Limited Sangeeta Tower, No.3, First Stage, 80 ft Road, Near CMH Hospital, Indira Nagar, Bengaluru-560038	**Shri Girish Kumar Arora**, Director, 11, Rainbow Residency, Sarjapur Road, Bengaluru – 560035.
Smt. Radha Devi Arora, Director, P-31, NDSE II, Andrews Ganj, Defence Colony, New Delhi – 110049	**Sri.Ranjit Dogra,** Director, A-214, Splendour Gopalan Enterprises, Kundalahalli, Bengaluru - 560037

Dear Sir/s,

Reg : Show Cause for Identification of default in the loan account of M/s. Base Corporation Limited, with the bank as "Wilful"

Please refer to notice dated 23-05-2019 issued by the bank vide which the events of wilful default perceived in the captioned account has been pointed out and you thereby called upon to rectify the defaults within 10 days of the receipt of said notice. However, you failed / neglected to take any action thereto.

The facts of the matter were placed before this identification committee on wilful defaulters in consonance with Reserve Bank of India guidelines. The Committee after going through facts of the matter, evidence on record and your representation made therein, has concluded that events of default has occurred in the account which are wilful and substantial to classify you (borrower / guarantor / director / partner etc) as "Wilful Defaulter" inter alia for the following reasons:

Diversion of Funds:

•Term loan funds have been misutilised for short term liabilities (bill discounting, repayment of LCs, Payment to Sundry Creditors) amounting to Rs. 65.42 Crores and operational expenditure amounting to Rs. 44.33 Crores

•Corresponding Sundry Creditors and Sundry Debtors were offset against each other without either payment being received or paid through journal entries

•The company used artificial purchase bills to pay creditors under purchase bill discounting facility and drain funds

•The bill discounting facility was squared by using funds from Cash Credit Accounts which was consequently overdrawn. The overdrawn amount in Cash Credit Accounts has subsequently been converted to WCTL.

•The above referred facts are also reported in the Forensic Audit conducted by M/s Ramesh MY and Co.

In case you feel aggrieved by the aforesaid conclusion of the Committee, you may make a submission / representation if you so desire, to the Committee for consideration and show cause as to why you should not be classified as wilful defaulter. Your submission / representation must reach us within 15 days of the receipt hereof and be sent to Dy. General Manager, SASTRA Division, 3rd Floor, East Wing, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075.

If we do not receive any submission / representation of yours, it would be deemed that you have nothing to say in your defence against the conclusion of this Committee. Please take note that pursuant to submission / non submission of your show cause, the committee shall proceed to pass an order with regard to declaration of the Wilful Defaulter as per the RBI Guidelines.

The show cause notice dated 30-01-2020 issued by the bank and further proceedings on the basis of the said notice stands withdrawn.

MEMBERS OF THE IDENTIFICATION COMMITTEE

Sd/- General Manager	**Sd/- General Manager**
Sd/- Executive Director	

RAJSHREE POLYPACK LIMITED

Regd. Office: Lodha Supremus, Unit No 503-504 5th Floor, Road No. 22, Kishan Nagar, Near New Passport Office, Wagle Estate Thane West -400604.
CIN: L25209MH2011PLC223089; **Tel No.:** +91-22 25818200; **Fax:** +91-22 25818250
Website: www.rajshreepolypack.com **E-mail:** cosec@rajshreepolypack.com

The 10th (Tenth) Annual General Meeting **("AGM")** of the Company will be held through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio-Visual Means **("OAVM")** on **Friday, September 24, 2021 at 04.00 p.m. (IST)** in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 **("Act")** and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India **("SEBI")** (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")** and SEBI **(collectively referred to as "relevant circulars")**, to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

The Notice for convening the AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-2021 **("Annual Report")** will be sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Depository Participant **("DPs")**/Company/Registrar and Transfer Agent viz. Link Intime India Private Limited **("RTA")** in accordance with the relevant circulars. Members who have shares in dematerialized form and not yet registered their e-mail addresses are requested to register the same with their DPs.

Members can attend and participate in the AGM only through VC / OAVM. The procedure or instructions for joining the AGM through VC/OAVM are stated in the notice.

The detailed procedure or instructions for casting votes through remote e-voting or e-voting during AGM for all Members (including the Members whose e-mail addresses are not registered with DPs/Company/RTA) are stated in the Notice.

This advertisement shall also be available on Company's website at www.rajshreepolypack.com and also on the Stock Exchange's website at www.nseindia.com.

By Order of Board of Directors
For Rajshree Polypack Limited
Sd/-

Date: August 27, 2021 **Mitali Rajendra Shah**
Place: Thane **Company Secretary and Compliance Officer**

UNITED SPIRITS LIMITED

DIAGEO INDIA

Corporate Identification Number: L01551KA1999PLC024991
Regd. Office: 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001.
Tel: +91 80 4544 8000; Fax: +91 80 3985 6862
Email: investor.india@diageo.com Website: www.diageoindia.com

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, BENGALURU BENCH
COMPANY APPLICATION (CAA) NO. 9 / BB/ 2021

IN THE MATTER OF SECTIONS 230 - 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION AND ARRANGEMENT AMONGST PIONEER DISTILLERIES LIMITED (**APPLICANT NO. 1 / TRANSFEROR COMPANY**) AND UNITED SPIRITS LIMITED (**APPLICANT NO. 2 / TRANSFEREE COMPANY**) AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

UNITED SPIRITS LIMITED
a company incorporated under the Companies Act, 1956, having its registered office at 'UB Tower', # 24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India **...APPLICANT NO. 2 / TRANSFEREE COMPANY**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF THE APPLICANT NO. 2 / TRANSFEREE COMPANY

Notice is hereby given that by the order dated February 8, 2021, in Company Application (CAA) No. 9 / BB / 2021, read with order dated August 13, 2021 in C.A.No. 58 of 2021 in Company Application (CAA) No.9 / BB / 2021, the Bengaluru Bench of the National Company Law Tribunal ("**NCLT**") has directed separate meetings to be held of the equity shareholders and unsecured creditors of the Applicant No. 2 / Transferee Company, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement, proposed in the matter of Scheme of Amalgamation and Arrangement amongst Pioneer Distilleries Limited and United Spirits Limited and their respective shareholders and creditors ("**Scheme**").

In pursuance of the said orders and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of the equity shareholders and unsecured creditors of the Applicant No. 2 / Transferee Company will be held through video conferencing or other audio-visual means ("**VC/ OAVM**"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "**Act**") and the rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, following the operating procedures (with requisite modifications as may be required) referred to in General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No.33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "**MCA Circulars**"). The equity shareholders and unsecured creditors are requested to attend the meetings by VC/ OAVM, as the case may be, on such date and time as mentioned below:

Sr. No	Class of Meetings	Date of Meetings	Time (IST)
1	Equity Shareholders	September 30, 2021	11:00 a.m.
2	Unsecured Creditors		01:00 p.m.

The equity shareholders and unsecured creditors are requested to attend the respective meetings by logging in at www.evotingindia.com before commencement of the meetings.

Copies of the respective notices in relation to the meetings, together with the documents accompanying the same, including the explanatory statement and the Scheme can be obtained free of charge on any working day between 11:00 a.m. and 4:00 p.m. (IST) (except Saturday, Sunday and public holidays) from the registered office of the Applicant No. 2 / Transferee Company at 'UB Tower', #24, Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001, Karnataka, India,until the date of the meeting. The notices (including the detailed instructions for attending the meetings by VC/ OAVM) and the accompanying documents are also available on the website of the Transferee Company at www.diageoindia.com and on the websites of BSE Limited ("**BSE**") at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**") at www.nseindia.com, and Central Depository Services (India) Limited ("**CDSL**") at www.evotingindia.com.

The equity shareholders of the Transferee Company are hereby informed and requested to note that:

1) Since the meeting of the equity shareholders is being held by VC/OAVM, the facility to appoint proxy to vote on behalf of the equity shareholders is not available for this meeting. However, in terms of Section 112 and 113 of the Act, corporate members are entitled to appoint their authorised representatives to attend and cast their vote by electronic means.
2) In compliance with the order dated February 8, 2021 read with order dated August 13, 2021, the Transferee Company has completed despatch of the notice of the meeting on August 27, 2021 by electronic mode to those equity shareholders who have registered their email address with the Depositories / the Depository participants (DP) / the Transferee Company / the Transferee Company's Registrars and Transfer Agents, Integrated Registry Management Services Private Limited, and whose names appeared in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as per the details furnished by the Depositories as on August 23, 2021, being the **'cut-off date'.**
3) In compliance with the provisions of Section 230(4) read with Sections 108 and 110 of the Act, read with the rules made thereunder and Regulation 44 and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the MCA Circulars, the Transferee Company has provided the facility of voting by postal ballot, remote e-voting and e-voting during the meeting.**The voting period for postal ballot and remote e-voting shall commence on and from August 31, 2021, at 10:00 a.m. (IST) and end September 29, 2021, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting at 05:00 p.m. (IST), on September 29, 2021 and equity shareholders will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.** Once the vote on the resolution is cast, the equity shareholders shall not be allowed to change it subsequently.Facility for e-voting shall also be made available during the meeting and equity shareholders attending the meeting through video conference, who have not already cast their vote by remote e-voting or postal ballot can exercise their vote during the meeting. The necessary instructions for attending the meeting, postal ballot, remote e-voting & e-voting during the meeting have been set out in the said notice dated August 25, 2021.
4) Duly completed and signed postal ballot form should reach the scrutinizer on or before 5.00 p.m. Wednesday, September 29, 2021. The postal ballot forms received after the said date and time shall not be considered and shall be taken as if the reply from the equity shareholder has not been received.
5) The voting rights of the equity shareholders shall be in proportion to their shareholding in the Transferee Company as on August 23, 2021 (Cut-Off date).
6) Equity shareholders are requested to immediately inform the Transferee Company's Registrars and Transfer Agents, Integrated Registry Management Services Private Limited, # 30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Bengaluru – 560 003 (Telephone No. 080 23460815-818 Fax No. 080 23460819), in case of shares held in physical form and to the respective depository participants, in case of shares held in dematerialized/electronic form, the details about their email addresses, if any, so that all notices and other statutory documents which are required to be sent to the shareholders, as per the provisions of the Act, can be sent to their email addresses.
7) Shareholders who have voted through postal ballot or remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during the meeting.
8) In accordance with the provisions of Sections 230 to 232 of the Act, the Scheme shall be acted upon only if majority in number representing three fourth in value of such equity shareholders of the Transferee Company, voting by postal ballot or remote e-voting or e-voting during the meeting, agree to the Scheme. Further in terms of the Circular dated March 10, 2017 bearing reference No. CFD/ DIL3/ CIR/2017/21 issued by the Securities and Exchange Board of India, as amended from time to time, the Scheme shall be acted upon only if the votes cast by public shareholders in favour of the resolution set out above are more than the number of votes cast by the public shareholders against the resolution.

The unsecured creditors of the Transferee Company are hereby informed and requested to note that:

1) The facility for appointment of proxies by the unsecured creditors will not be available. However, representatives of the Corporate unsecured creditors can attend and cast their vote by electronic means.
2) The Transferee Company has completed despatch of notice of the meeting on August 27, 2021 by electronic mode to those unsecured creditors who have registered their email address with the Transferee Company. For unsecured creditors whose e-mail addresses were not available, notice of the meeting is being despatched by physical mode at their last known address.
3) The voting shall be carried out through remote e-voting and e-voting during the meeting.**The voting period for remote e-voting shall commence on and from August 31, 2021, at 10:00 a.m. (IST) and end on September 29, 2021, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting at 05:00 p.m. (IST), on September 29, 2021 and unsecured creditors will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.** Once the vote on a resolution is cast by the unsecured creditor, the unsecured creditor shall not be allowed to change it subsequently. Facility for e-voting shall also be made available during the meeting and unsecured creditors attending the meeting through video conference, who have not already cast their vote by remote e-voting can exercise their vote during the meeting. The necessary instructions for attending the meeting, remote e-voting & e-voting during the meeting have been set out in the said notice dated August 25, 2021.
4) An unsecured creditor, whose names appear in the books of accounts of the Transferee Company as on October 31, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the meeting. The voting rights of unsecured creditors shall be in proportion to their outstanding amount in the books of accounts of the Transferee Company as on October 31, 2020.
5) Unsecured creditors who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote during the meeting.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com, or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL), Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400 013 or by email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

The NCLT has appointed Mr. Girish Kumar, Advocate to be the Chairman of the meetings. The Scheme, if approved at the respective meetings, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

As directed by the NCLT, Mr. Qaiser Magdum, Practicing Company Secretary (CP No. - 9043) has been appointed as scrutinizer to scrutinise votes cast either at the aforesaid meetings through e-voting or through remote e-voting or postal ballot, as the case may be.

The scrutinizer will submit the reports on the votes cast to the Chairman for both of the aforesaid meetings. The result of the voting shall be announced upon receipt of the scrutinizer's reports and the same shall be placed on the Transferee Company's website www.diageoindia.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com within 48 hours of the conclusion of the meetings and shall be communicated to BSE and NSE, where the shares of the Transferee Company are listed.

Sd/-
Girish Kumar
Chairman appointed for the meetings

Date : August 27, 2021
Place : Bengaluru

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED

SHRIRAM HOUSING FINANCE

Reg.Off.: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-600001
Head Office: Level 3, Wockhardt Towers, East Wing C-2 Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.
Website: www.shriramhousing.in

POSSESSION NOTICE

Whereas the undersigned being the authorised officer of Shriram Housing Finance Limited (SHFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued a demand notice to the Borrower details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of SHFL has taken the Symbolic possession of the mortgaged property described herein below under Section 13(4) of the said Act and Rules, on this **27th day of August, 2021.**

Borrower Name and address	Amount due as per Demand Notice	Description of Property
Mrs. Usha Kanwar w/o Mr. Mangu Singh, Mr. Tej Singh Rathore s/o Mr. Mangu Singh, Mr. Bhanwar Manohar Singh s/o Mr. Mangu Singh, Mrs. Seema Rajput	Rs. 13,85,176/- in the loan account no. SBTHJIPR0000528 + Rs. 10,75,785/- in the loan account no. STUHJIPR0000529 =Rs. 24,60,961/- (Rupees Twenty-four Lakh Sixty Thousand Nine Hundred and Sixty-one Only) due and payable as on 19/04/2021 with further interest as mentioned hitherto and incidental expenses, costs etc.	All that piece & parcel of the property residential house situated at Plot No. 34, Dev Nagar, Nangal Jaisa Bohra, Jaipur, Rajasthan. Admeasuring 133.33 Sq. Yards. Surroundings: East- Plot No. 32, West- Road, North-Road, South- Plot No. 35.

This notice is also hereby to caution the general public at large that SHFL is in the lawful symbolic possession of the immovable property mentioned above and the Borrower or any person shall not after receipt of this notice transfer by way of sale, lease or otherwise deal with/ alienate any of the above mentioned secured asset referred to in this notice, without prior written consent of SHFL.

Place: Jaipur Sd/- Authorised Officer
Date : 27.08.2021 Shriram Housing Finance Limited

JKcement

J.K. Cement Limited
(CIN: L17229UP1994PLC017199)
Registered Office : Kamla Tower, Kanpur-208001, Uttar Pradesh, India
Telephone : +91-512-2371478/81, Fax : +91-512-2399854
Email : shambhu.singh@jkcement.com Website : www.jkcement.com

POSTAL BALLOT NOTICE

The Members of JK Cement Limited ('the Company') are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the General Circular No.14/2020 dated 8th April, 2020 and the General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020, in relation to 'clarification on passing of ordinary and special resolution by the Companies under the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder on account of the threat posed by COVID-19 pandemic' and the General Circular No.22/2020 dated 15th June, 2020, General Circular No.33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No.39/2020 dated December 31, 2020 and General Circular No.10/2021 dated June 23, 2021 in relation to extension of the framework provided in the aforementioned circulars up to December 31, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the 'MCA Circulars') and all other applicable Rules framed under the Companies Act, 2013, the Securities and Exchange Board of India (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'SEBI Listing Regulations') including any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force and as may be enacted hereinafter, the Company seeks approval of the members by way of Ordinary/Special Resolutions in accordance with Regulation 44 of the Listing Regulations and pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Act read with the rules framed thereunder and the MCA Circulars for the below mentioned item as set out in the Postal Ballot Notice dated 26th August, 2021, along with the Explanatory Statement (the 'Notice') by way of electronic means (i.e. remote e-voting).

Description of Resolutions

1. **Appointment of Mr. Satish Kumar Kalra (DIN:01952165) as an Independent Director for 5 years w.e.f. 14.8.2021 and Mr. Mudit Aggarwal (DIN:07374870) as an Independent Director for 5 years w.e.f. 14.8.2021.**
2. **Modification of Resolution No.9 passed for Mr. Ajay Narayan Jha (DIN:02270071) for 5 years term from 28.5.2021 to 27.5.2026.**
3. **Substitution of existing Article Nos. 101 and 108 in lieu of new Articles Nos. 101 and 108.**

Due to intermittent availability of postal and courier services, on account of thread posed by COVID-19 pandemic situation and in accordance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Notice on 27th August, 2021, electronically to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the Depositories/Depository Participants or with the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. Jaykay Enterprises Ltd. ('JEL') and whose names appear in the Register of Members/List of Beneficial Owners received from the National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depository Services (India) Ltd. ('CDSL') as on Wednesday 25th August, 2021, being the cut-off date ('Cut-off Date") which will be considered for the purposes of remote e-voting.

The members who have not registered their email address and as consequence may not receive the Notice, may temporarily get their email address registered with JEL whereupon the members would get soft copy of the Notice and the procedure for remote e-voting along with the user ID and password to enable remote e-voting for the postal ballot. In case of any queries, the members may write to shambhu.singh@jkcement.com or prabhat.mishra@jaykayenterprises.com or rc.srivastava@jkcement.com or investorservices@jaykayenterprises.com

It is clarified that for permanent registration of email address, the members are requested to register their email addresses in respect of electronic holding with their concerned depository participants and in respect of physical holdings with Jaykay Enterprises Ltd., Kamla Tower, Kanpur-208001, U.P. email id:prabhat.mishra@jaykayenterprises.com or rc.srivastava@jkcement.com or investorservices@jaykayenterprises.com by following due procedure.

Those members who have already registered their email addresses are requested to keep their email addresses validated with their depositories/depository participants/JEL to enable serving of Notice and documents electronically to their email address.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. S.K. Gupta, Practicing Company Secretary (Membership No.F.C.S. 2589; CP No. 1920) as a scrutinizer to conduct the process of the postal ballot in a fair and transparent manner. As required under the Act, the SEBI Listing Regulations and in accordance with the MCA Circulars, the Company has engaged the services of CDSL for the purpose of providing remote e-voting facility to its Members.

The members of the Company are also hereby informed and requested to note that:

(a). The members holding shares in physical mode or dematerialized mode can exercise their vote by electronic means only i.e. remote e-voting. The hard copy of the Notice along with postal ballot form and postage prepaid self-address business reply envelope to the Members will not be sent to the members in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. The assent or dissent of the members on the resolutions mentioned in the Notice would only be taken through the remote e-voting systems as per MCA Circulars;

(b). The remote e-voting will commence from 9.00 A.M. (IST) on Wednesday, 1st September, 2021;

(c). The remote e-voting shall end at 5.00 PM. (IST) on Thursday 30th September, 2021. The e-voting facility shall be disabled thereafter. Please note that votes cast after the end of the voting period shall be treated as invalid;

(d). During the aforementioned voting period, the Members may cast their vote electronically by accessing the website www.evotingindia.com and logging in by using their user ID and password. The detailed procedure/instructions for remote e-voting are mentioned in the Notes to the Postal Ballot Notice.

(e). The voting rights of members shall be in proportion of their share in paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the aforesaid date, should treat their Notice for information purposes only.

(f). The Chairperson or any Director or Company Secretary authorized by Chairperson shall declare the results of the postal ballot as per the statutory timelines. The results along with the Scrutinizer's Report will also be posted on the website of the Company i.e. www.jkcement.com, www.evotingindia.com, stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.ccom and on the website of the depositories. Subject to, and in compliance with the directions / notifications, issued by the Central / State Government(s) / relevant authorities on account of COVID-19 pandemic, the Company will also display the results at its Registered office.

(g). Any member(s)who does not receive the Notice, may either send an email to shambhu.singh@jkcement.com or write to prabhat.mishra@jaykayenterprises.com or rc.srivastava@jkcement.com or may also download the Notice from the website of the Company i.e. www.ikcement.com or www.evotingindia.com.

For any query or grievance pertaining to remote e-voting, a member may write to Company at shambhu.singh@jkcement.com or may contact Mr. Prabhat Mishra, Company Secretary, Jaykay Enterprises Limited, Unit: JK Cement Limited, Kamla Tower, Kanpur 208001 U.P or send an email at prabhat.mishra@jaykayenterprises.com/ rc.srivastava@jkcement.com. Further members may visit Help & FAQs Section available at www.evotingindia.com.

For **J.K. Cement Limited**
Shambhu Singh
Head (Legal) & Company Secretary
ICSI Membership No. FCS 5836

Place: Kanpur
Date : 27th August, 2021

दिसंबर तक शुरुआती समझौता

श्रेया जय
नई दिल्ली, 27 अगस्त

भारत-ऑस्ट्रेलिया में कारोबारी बातचीत

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियाई उद्योग मंत्री डैन तेहान के बीच बातचीत में फैसला
- दोनों नेताओं ने एक पूर्ण सीईसीए की दिशा में एक अंतरिम समझौते के संभावित अवसरों और प्रभावों पर विचार-विमर्श करने का फैसला भी किया
- दोनों देशों के मुख्य व्यापार वार्ताकारों के बीच हो चुकी है अब तक 3 दौर की बात

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि दोनों देशों ने आपसी व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दिसंबर 2021 तक एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य तय किया है। शुरुआती समझौता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समग्र आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) जल्द होने की राह निकालेगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके ऑस्ट्रेलियाई उद्योग मंत्री डैन तेहान के बीच एक दिन पहले वीडियो कॉल पर हुई बैठक के दौरान कारोबारी बातचीत में सहमति बनने के बाद यह बयान आया है।

दोनों देशों के मुख्य व्यापार वार्ताकारों के बीच अब तक 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों मंत्रियों ने अपने अधिकारियों को बातचीत में तेजी लाने का निर्देश दिया है और द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को जल्द किसी मुकाम तक पहुंचाने पर चर्चा की।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'इस संबंध में मंत्रियों ने अधिकारियों को बातचीत में तेजी लाने और वस्तुओं तथा सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को उदार बनाने के लिए दिसंबर 2021 तक एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जितनी बार जरूरी हो, बैठक करने का निर्देश दिया।' बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने एक पूर्ण सीईसीए की दिशा में एक अंतरिम समझौते के संभावित अवसरों और प्रभावों पर विचार-विमर्श करने का फैसला भी किया। शुरुआती समझौते या जल्द परिणाम देने वाले समझौते के असर पर भी सीईसीए को अंतिम रूप देने पर विचार किया जाएगा।

बयान में कहा गया है, 'दोनों मंत्री संतुलित व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं, जिससे कारोबार और निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा और दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं और नागरिकों को इससे लाभ होगा। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के नियमों के मुताबिक प्रतिबद्धता के मुताबिक नजर आएगा।'

पिछले सप्ताह गोयल ने कहा था कि भारत शीर्ष कारोबारी साझेदारों के साथ अपने मुक्त व्यापार रणनीति को दुरुस्त कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन जैसे देशों के साथ जल्द परिणाम देने वाले अंतरिम समझौते पर बातचीत कर रहा है।

इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापार वार्ता रुक गई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई मसलों पर आम सहमति नहीं बन पाई।

इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का अनुरोध

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का आग्रह किया है। बिजली मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अपने सहयोगियों के साथ ही सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं। बयान के अनुसार उन्होंने पत्र में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से यह भी अनुरोध किया है कि वे अपने मंत्रालय या विभागों में सभी आधिकारिक कार्यों के लिए मौजूदा पेट्रोल या डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की सलाह भी दें। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह के प्रयास से आम जनता के सामने एक बेहतर उदाहरण पेश होगा और उन्हें भी ई-मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह पहल केंद्र सरकार के 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान का हिस्सा है। भाषा

दिवाला संहिता में दाखिल होने के पहले निपटे 18,000 मामले

रुचिका चित्रवंशी और श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 27 अगस्त

कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 5 लाख करोड़ रुपये के 17,800 से ज्यादा मामले दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में दाखिल होने के पहले ही निपटा दिए गए। जुलाई, 2021 तक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए 4,570 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से 10 प्रतिशत से कम निपटाए गए मामलों की वसूली राशि 2.5 लाख करोड़ रुपये है।

परिसमापन के लिए 1,371 मामले गए और 466 मामले जुलाई तक वापस ले लिए गए थे। संपत्तियों का मूल्य कम होने और कर्जदाताओं की समिति के व्यवहार की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई और समाधान के बाद कठिनाइयां आईं। कंपनी मामलों का मंत्रालय दिवाला एवं ऋण शोधन संहिता की चुनौतियों पर चर्चा कर रहा है, जो अब 5 साल पुराना कानून हो गया है।

आईबीसी के 5 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कंपनी मामलों के सचिव राजेश वर्मा ने कहा, 'तमाम मसले खत्म किए गए हैं। हम इस अहम वक्त में शेष आईबीसी मसलों के समाधान के लिए उद्योग से चर्चा कर रहे हैं।' वर्मा ने कहा कि भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय सेवा विभाग कर्जदाताओं की आचार संहिता बनाने के लिए बात कर रहे हैं।

उद्योग के विशेषज्ञों की राय है कि कर्जदाताओं की समिति के लिए नियामक रिजर्व बैंक है, आईबीबीआई नहीं। आईबीसी पर सीआईआई सीआईआई कार्यबल के चेयरमैन शार्दूल श्राफ ने कहा, 'यह कहना कि आईबीसी के माध्यम से आचार संहिता आएगी, असंगत होगा। इन दोनों में तालमेल नहीं हो सकता। सीओसी का कामकाज आईबीसी में संशोधित किया जा सकता है।' वर्मा ने कहा कि आईबीसी से कर्जदाताओं को परिसमापन मूल्य का 180 प्रतिशत हासिल करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि 30 प्रतिशत कंपनियों का समाधान चिंता की बात नहीं थी।

एमसीए सचिव ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में रिक्तियां भरने में देरी के समाधान के आदेश दे दिए गए हैं और ई-न्यायालयों के साथ बुनियादी ढांचा दुरुस्त किया जा रहा है।

सेमीनार में मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि आईबीसी ने विभिन्न हिस्सेदारों के हितों में संतुलन स्थापित करने में मदद की है।

देश में दिवाला मामलों के समाधान के लिए संहिता होने से सभी साझेदारों के बीच संतुलन स्थापित होने के साथ समयबद्ध तरीके से काम पूरा करके आर्थिक मूल्यों को संरक्षित किया जा सकेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस बात की पहचान करने की जरूरत है कि अगर सब कुछ बेहतर होने पर अगर कोई पुरस्कार पाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के अन्य हिस्से को भी उसी तरह सम्मान देने की जरूरत है।

JKcement

जे.के. सीमेंट लिमिटेड

सीआइएनः L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालयः कमला टावर, कानपुर–208001, उ.प्र.
टेलीफोनः +91 512 2371478/81 फैक्सः +91 512 2399854
ईमेलः shambhu.singh@jkcement.com वेबसाइटः www.jkcement.com

डाक मतपत्र सूचना

जे.के.सीमेण्ट लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनीज एक्ट, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 व अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सपठित कंपनीज (मैनेजमेंट व एडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 के नियम 20 और 22 सपठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 व सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 सामान्य व विशिष्ट प्रस्ताव को पारित करने के संबंध में ''कोविड–19 महामारी की आशंका के चलते हुए, कंपनीज एक्ट 2013 व नियमानुसार पारित करने के संबंध में जारी स्पष्टीकरण'' व सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020 व सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, तथा सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 फ्रेमवर्क को बढ़ाने संबंधी 31 दिसम्बर, 2021 तक कारपोरेट एफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार (M.C.A.) परिपत्र और अन्य समस्त प्रावधानों व नियमों के अन्तर्गत कंपनीज एक्ट 2013 सिक्यूरिटीज व एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग आब्लीगेशन व डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) रेगुलेशन 2015 (SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन) व समय–समय पर लागू अन्य संबंधित वैधानिक पत्र, संशोधन, पुर्नलागू के अन्तर्गत कंपनी सदस्यों की स्वीकृति सम्बन्धी सामान्य/विशेष प्रस्ताव अंतर्गत रेगुलेशन 44 लिस्टिंग रेगुलेशन व धारा 108 व 110 अधिनियम के अन्तर्गत व तदानुसार M.C.A. के नियमानुसार निम्न उल्लिखित आइटम जो कि डाक मत पत्र सूचना दिनांक 26 अगस्त, 2021 एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ उल्लिखित है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहती है।

प्रस्तावों का विवरण

1. श्री सतीश कुमार कालरा (DIN- 01952165) तथा श्री मुदित अग्रवाल (DIN- 07374870) का दिनांक 14.08.2021 से 5 वर्षों के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

2. श्री अजय नारायण झा (DIN- 02270071) का दिनांक 28.05.2021 से दिनांक 27.05.2026 तक की 5 वर्षों की पदावधि के विषय में संशोधन।

3. वर्तमान अनुच्छेद संख्या 101 तथा 108 के स्थान पर नए अनुच्छेद संख्या 101 तथा 108 का प्रतिस्थापन।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण डाक व कोरियर सेवाओं की अनियमित सुविधा के कारण व M.C.A. परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने सूचना दिनांक 27 अगस्त, 2021 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समस्त सदस्यों को जिनके ई–मेल पते कंपनी में पंजीकृत हैं या डिपाजिटर्स/डिपाजिटरी प्रतिभागी या कंपनी के रजिस्टर व ट्रान्सफर एजेंट यानि जेके इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (JEL) व जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/बेनीफिशियल स्वामी की सूची में दर्ज है जो नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) व सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (CDSL) में बुधवार 25 अगस्त, 2021 कटऑफ डेट तक जो कि दूरस्थ ई वोटिंग के लिये मान्य है भेजी जा चुकी है।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये है और इस कारण उन्हें सूचना नहीं प्राप्त हुई है, अस्थाई रूप से अपना पता JEL में पंजीकृत करवा सकते हैं जिससे सदस्य सूचना की साफ्ट कापी व दूरस्थ ई वोटिंग का तरीका यूजर आईडी व पासवर्ड ई वोटिंग के लिये प्राप्त कर सकेंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिये सदस्य shambhu.singh@jkcement.com या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com, या investorservices@jaykayenterprises.com पर संपर्क कर सकते हैं।

एतदद्वारा सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के संबंध में, अपने ईमेल पते के स्थायी पंजीकृत के लिये अपने डिपाजटरी प्रतिभागियों से संपर्क करे एवं भौतिक होल्डिंग के संबंध में ईमेल आई डी prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com, या investorservices@jaykayenterprises.com पर संपर्क करें या जेके इंटरप्राइजेज, कमला टावर, कानपुर को लिखें।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पहले से पंजीकृत करवा रखे हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने ईमेल पते का विधिकरण अपने डिपाजिटरीज/डिपाजिटरीज प्रतिभागी/ JEL से करा लें ताकि उन्हें सूचना व अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके ईमेल पते पर भेजे जा सकें।

निदेशक मंडल द्वारा श्री एस.के.गुप्ता प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्य संख्या FCS 2589; C.P. No. 1920) को डाक मत पत्र की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिये स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिनियम SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन व M.C.A. परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने CDSL की सेवायें दूरस्थ वोटिंग के लिये सदस्यों की सुविधा के लिये ली हैं। कंपनी के सदस्यों की एतदद्वारा सूचित व अनुरोध किया जाता है कि:

(a) सदस्यगण जिनके पास फिजिकल शेयर या डिमेटेरियलाइज्ड रूप में है वे केवल इलेक्ट्रानिक विधि से जैसे दूरस्थ ई वोटिंग द्वारा मतदान करेंगे। M.C.A. परिपत्रों के अनुसार सूचना की हार्ड प्रति, डाक मत पत्र समेत व स्वयं संबोधित पोस्टज शुल्क व लिफाफे समेत नहीं भेजी जायेगी। सदस्यों की सहमति या असहमति प्रस्ताव पर केवल दूरस्थ ई वोटिंग प्रणाली द्वारा M.C.A. परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।

(b) दूरस्थ ई वोटिंग बुधवार 1 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे से शुरु होगी।

;c) दूरस्थ ई वोटिंग गुरुवार 30 सितम्बर, 2021 सायं 5:00 बजे(IST) समाप्त होगी। ई वोटिंग की सुविधा इसके उपरान्त समाप्त हो जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि वोटिंग पीरियड के बाद दिये गये वोट अवैध माने जायेंगे।

(d) सदस्यगण वोटिंग पीरियड से समय इलेक्ट्रानिक तरीके से वेबसाइटः www.evotingindia.com और अपने यूजर आईडी व पासवर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी/विधि डाक मत पत्र द्वारा दूरस्थ ई वोटिंग की सूचना के नोट के साथ दी गई है।

(e) सदस्यों का वोटिंग अधिकार उनके पेडअप इक्वीटी शेयर पूंजी के अनुपात के आधार पर कंपनी के कटआफ डेट के अनुसार होगा। किसी भी व्यक्ति के उपरोक्त तिथि पर सदस्य न होने पर सूचना केवल एक जानकारी मानी जायेगी।

(f) चेयरपर्सन या कोई निदेशक या चेयरपर्सन द्वारा अधिकृत कम्पनी सेक्रेटरी वैधानिक समय सीमा में डाक मत पत्र का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम स्क्रूटिनाइजर की रिपार्ट के साथ कंपनी के वेबसाइट जैसे www.jkcement.com, www.evotingindia.com स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com व www.nseindia.com डिपाजिटरी के वेबसाइट पर पोस्ट की जायेगी। कोविड–19 महामारी के कारण केन्द्र/राज्य सरकारों व संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी निर्देश व नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनी परिणाम अपने पंजीकृत कार्यालय में भी डिस्पले करेगी।

(g) किसी सदस्य के सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में वह ई मेल shambhu.singh@jkcement.com को करें या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com को लिखें या कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com या www.evotingindia.com से सूचना डाउनलोड करें।

किसी भी जानकारी या दूरस्थ ई वोटिंग की असुविधा के संबंध में सदस्य कंपनी को shambhu.singh@jkcement.com पर लिखें या श्री प्रभात मिश्रा, कंपनी सचिव जेके इन्टरप्राइजेज लिमिटेड यूनिट जे.के. सीमेण्ट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर–208001 उ.प्र. पर संपर्क करें या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com को ईमेल करें। सदस्यगण अथवा किसी भी प्रकार की सहायता के लिये www.evotingindia.com के Help & FAQs सेक्शन से भी संपर्क कर सकते हैं।

कृते **जे.के. सीमेंट लिमिटेड**
(शम्भू सिंह)
प्रमुख– विधि एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप न0 एफसीएस 5836

स्थानः कानपुर
दिनांकः 27 अगस्त, 2021

सार्वजनिक वित्त की राज्यवार स्थिति

इंडिया रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि राज्यों के सार्वजनिक वित्त का प्रदर्शन अब बेहतर रहेगा। एजेंसी ने कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद मौजूदा भाव पर सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा रहने की उम्मीद और चालू वित्त वर्ष में पहले के अनुमान की तुलना में राजस्व बेहतर रहने की उम्मीद को देखते हुए प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। रेटिंग एजेंसी ने 14 राज्यों का विश्लेषण किया है। इन राज्यों में दो राज्यों कर्नाटक और हरियाणा में राजकोषीय घाटा पहले के वित्त वर्ष की तुलना में इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा ज्यादा रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश व ओडिशा में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटा पहले जितना ही रहने का अनुमान है। शेष 10 राज्यो के सार्वजनिक वित्त में पहले के साल की तुलना में वित्त वर्ष 22 में सुधार हुआ है।

इंदिवजल धस्माना

संबंधित राज्यों के जीएसडीपी के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा

राज्य	2020-21 संशोधित अनुमान	2021-22 इंडिया रेटिंग्स का अनुमान
उत्तर प्रदेश	4.2	4.2
उत्तराखंड	4.4	3.2
तेलंगाना	4.3	3.9
तमिलनाडु	5	4.3
ओडिशा	3.5	3.5
राजस्थान	6.1	4
पंजाब	4.7	4
महाराष्ट्र	3.3	2.2
मध्य प्रदेश	5.5	4.5
केरल	4.3	3.5
कर्नाटक	3.2	3.5
झारखंड	3.2	2.8
हरियाणा	2.9	3.8
छत्तीसगढ़	6.5	4.6

स्रोतः संबंधित राज्यों का बजट और इंडिया रेटिंग्स

दिल्ली में उद्यमियों के लिए खुलेंगे साझा सुविधा केंद्र

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 27 अगस्त

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में साझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) खोलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये सीएफसी केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की स्कीम के तहत खुलेंगे। दिल्ली सरकार इनके लिए जमीन देने को तैयार हो गई है। उद्यमियों ने भी सीएफसी में रुचि दिखाना शुरू कर दिया है। एमएसएमई मंत्रालय की सीएफसी खोलने की योजना के तहत प्लांट व मशीनरी पर निवेश के लिए 20 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय की योजना के तहत खुलेंगे सीएफसी

इसमें से 18 करोड़ मंत्रालय और 2 करोड़ रुपये उद्यमी स्वयं जुटाते हैं। बाकी खर्च भी उद्यमी उठाएंगे।

दिल्ली में सीएफसी की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) के एक अधिकारी ने बताया कि बादली में सीएफसी के लिए 2500 वर्ग मीटर जमीन आवंटित कर दी गई है। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी सीएफसी के लिए जमीन देने की योजना है। बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट के महासचिव रवि सूद ने बताया कि दिल्ली में बादली में पहला सीएफसी खुलने जा रहा है। ऑटो पार्टस और लाइट इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए खुलने वाले इस सीएफसी पर करीब 28 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 18 करोड एमएसएमई मंत्रालय देगा और बाकी पैसा उद्यमी जुटाएंगे। सीएफसी में सहयोग देने के लिए अब तक 41 उद्यमी तैयार हो चुके हैं। सूद ने कहा कि सीएफसी के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई और अगले सप्ताह इसे डीएसआइआडीसी को सौंप दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अगले 18 महीने में यह सीएफसी बनकर तैयार हो जाएगा। बवाना चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रकाश चंद जैन ने कहा कि बवाना के उद्यमी 6 से 7 सीएफसी खोलना चाहते हैं। चैंबर की तरफ से प्रिंटिंग व पैकेजिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, इलेक्ट्रिकल ऐंड इलेक्ट्रॉनिक्स, शीट मेटल, फूड प्रोसेसिंग आदि विनिर्माण इकाइयों के उद्यमियों से सीएफसी में भागीदार बनने के लिए चर्चा की जा रही है। एक सीएफसी में कम से कम 20 उद्यमियों की शेयर होल्डिंग जरूरी है। सीएफसी में ऐसी विशेष मशीनें होंगी, जिनको एक छोटे उद्यमी के लिए खरीदना आर्थिक रूप से आसान नहीं है।

सीएफसी में प्रशिक्षण, टेस्टिंग लेब व कच्चे माल की भी सुविधा होगी। सीएफसी के माध्यम से उदयमी कम कीमत पर उत्पादों को तैयार करवा सकेंगे।

निर्माणाधीन सड़कों का भी मुद्रीकरण

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 27 अगस्त

हाल में घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) के तहत सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय अगले 4 साल के दौरान हर साल 6,600 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्गों का मुद्रीकरण करेगा। सभी मौजूदा सड़क परियोजनाओं और आने वाले ठेकों को एक छत्र में लाने के बाद यह किया जाएगा।

एनएमपी दस्तावेज में कहा गया है कि नीति आयोग द्वारा अपनाए गए तरीके में मौजूदा परिचालन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संपत्तियों और बन रहे और अगले 4 साल में परिचालन में आ रहे नए राष्ट्रीय राजमार्गों को इसमें शामिल किया गया है। यह सूची मंत्रालय की ओर से मुहैया कराए गए सड़क खंडों और 4 लेन सड़कों व अन्य संपत्तियों के मुद्रीकरण क्षमता के बारे में द्वितीयक शोध के बाद तैयार की गई है। वित्त वर्ष 25 तक कुल 26,700 किलोमीटर सड़कों के मुद्रीकरण पर विचार किया गया है। इसमें पहले से परिचालन वाली 4 लेन और उसके ऊपर की सड़कें शामिल हैं।

सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) मॉडल पर आवंटित की गई बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) परियोजनाओं को इनसे बाहर रखा गया है, क्योंकि इन संपत्तियों पर टोल वसूलने का अधिकार संबंधित कंसेसन अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के पास रहेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी और नई परियोजनाओं के मिश्रण की पेशकश एनएमपी के तहत की जाएगी।

खुदरा व एमएसएमई में एनपीए बढ़कर 7.28 प्रतिशत पहुंचा

अभिजित लेले
मुंबई, 27 अगस्त

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की खुदरा और एमएसएमई क्षेत्र में सकल गैर निष्पादित संपत्तियां (जीएनपीए) जून, 2021 में बढ़कर 7.28 प्रतिशत हो गईं, जो एक साल पहले करीब 6 प्रतिशत थीं। केयर रेटिंग्स के मुताबिक निजी बैंकों में खराब कर्ज कम रहा है और जून में इनका जीएनपीए 3.32 प्रतिशत है, जो एक साल पहले के 2.01 प्रतिशत की तुलना में ज्यादा है। बैंकरों ने कहा कि एनपीए का मौजूदा स्तर नियामक पैकेज 2020 के तहत किए गए पुनर्गठन के कारण कम रहा है। भारतीय स्टेट बैंक ने करीब 20,000 करोड़ रुपये कर्ज का पुनर्गठन किया है, जिनमें से खुदरा व्यक्तिगत कर करीब 9,000 करोड़ रुपये और छोटे एवं मझोले उद्यमों (एसएमई) का कर्ज 3,630 करोड़ रुपये है। सरकार और नियामक ने लॉकडाउन से प्रभावित कर्जदाताओं और उधारी लेने वालों की मदद के लिए राहत पैकेज दिया है।

बीएस सूडोकू 4137

	9			4		8	7	3
				2				4
	8			3				
5	7							
6								8
	2				9		5	
			7		3		6	9
1			5					2
					2		4	

परिणाम संख्या 4136

4	7	5	6	3	2	8	1	9
9	6	3	1	8	4	5	2	7
8	1	2	9	5	7	6	3	4
6	8	1	4	2	5	9	7	3
7	2	4	3	6	9	1	5	8
3	5	9	7	1	8	4	6	2
5	4	7	2	9	6	3	8	1
1	9	8	5	7	3	2	4	6
2	3	6	8	4	1	7	9	5

कैसे खेलें?
हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम ★★★☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

दिल्ली | उत्तर प्रदेश | पंजाब

दिल्ली
दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 99 रुपये की तेजी के साथ 46,312 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,213 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 32 रुपये के मामूली नुकसान के साथ 61,667 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 61,699 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ 1,798 डॉलर प्रति औंस पर बोला गया। वहीं चांदी 23.66 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही।
बंद भाव रुपये प्रति क्विंटल

लखनऊ
गेहूं दड़ा 1925/1950, गेहूं शरबती 2750/2850, चावल शरबती सेला 3800/3900, स्टीम 4600/4700, लालमती 3500/3600, चावल (सोना) 3300/3350, दाल अरहर सवा नं. 8200/8400, पटका 9300/9700, रिजैक्शन 6900/7000, चना दाल 6525/6725, चना देशी छना 6600/6700, चना चापा छना 6600/6700, एग्रो प्योर बेसन 2540, मटर विदेशी 7400/7500, उड़द साबुत (काला)7750/8100, दाल उड़द (काली) 7900/9000, उड़द धोया 8700/10100, मसूर छोटी 6900/7200, मलका 7400/7600, किरानाः जीरा 15200/16700, लालमिर्च गुंटूर 15500/20000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 4900/5200, धनिया एमपी 8200/12000, छोटी इलायची (किलो) 1150/1900, बड़ी इलायची 620/730, कालीमिर्च (किलो) 450/560, सुपारी (किलो) 440/480, सौंफ मोटी 8400/11000, मंगरैल 20500/21500, चिरौंजी (किलो) 1000/1100, मखाना 530/680

कानपुर
गेहूं लूज 1960/1970, जौ 1675/1700, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2225, देशी चना 5750/5800, चना छना 6550/6700, दाल चना 6550/6800, विदेशी मटर ×, पिचकी 4500/4800, मटर दाल 7000/8000,अरहर लेमन 6900/7000, दाल अरहर 9300/10500, स्पेशल 8400/8600,उड़द एसक्यू 8600/8700, एफएक्यू 7400/7500, राजमा चित्रा 11500/13600, मूंग 6100/6300, मसूर छोटी 7300/7500, छांटी 8500/8600, सरसों 7600/7700, तिल सफेद 9600/9800, सोया (टीन) 2350/2375, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 2450/2500, सरसों खल 3200/3300, पामोलिन 2250/2300, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 2100/2150, मधुसूदन देशी घी 6200, वासुदेव 6000, परम प्रीमियम 6200, पदम श्री 6150, लीलाधर 6150, अलसी 8000/8100, धनियाः लोकल 8700/9000, राजस्थान 9400/9600, बढ़िया 10200/10800, हल्दी 8700/9600, जीरा 15300/17600, अजवायन 15500/19000, मेथी 6700/7000, मखाना 520/750, कालीमिर्च (किलो) 450/530, लालमिर्च (किलो) तेजा 180/210, (334) न. 145/155, सुपारी (किलो) केरल 460/490, कर्नाटक चिकनी 475/480, गोला 20500/22500

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1080, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1110, फ्लैक 1066, डीएमओ 818, टरपीन लैस बोल्ड 1128

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): चाकू (कोल्ड) 1300/1330, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3620, सिहोरा 3600, देवबंद 3570, थाना भवन 3540, बुढ़ाना 3550, शामली 3580, चीनी हाजिर 3700/3750

हापुड़
अनाज-दालः गेहूं 2010/2020, चावल परमल 2300/2400, डुप्लीकेट बासमती सेला 5000/5200, बासमती 1121 स्टीम 6100/6200, चना 6000/6200, चनादाल 6550/6750, काबली चना 8000/9800, राजमा देशी चित्रा 12500/13200, मटर दाल 6600/6700, अरहर लेमन 6700/6800, दाल अरहर 9000/10000, मसूर 7500/7800, उड़द देसी 7100/7300, दाल उड़द 8500/9500, धोया 8700/9500, मूंग यूपी 5900/6100, मूंग दाल 8500/9800, गुड़-चीनीः चीनी हाजिर 3700/3775, तिलहनः सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 7700/7750,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)160, राइसब्रान (अखाद्य) 153, खल सरसों 3050, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 860, कंटीन्यूअस 860, सरसों (टन) 23500, अनाजः गेहूं 1820/1950, आटा (50 किलो)1050, मैदा 1150, चोकर (45 किग्रा) 900, चोकर (30 किग्रा) 515, मक्की बिहार 1960/1970 *एनएनएस*

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) INDIAN OVERSEAS BANK (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ | केन्द्रीय कार्यालय-चेन्नई

कब्ज़ा नोटिस [नियम 8(1)]
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (अचल सम्पत्ति हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचनापत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर **ऋणी / बंधककर्ता / ज़मानतकर्ता** और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है।

ऋणी / बंधककर्ता / ज़मानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व–साधारण को सामान्य रूप से एतद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय–विक्रय **इण्डियन ओवरसीज़ बैंक**, के प्रभारों के अधीन होगा, जैसा कि बकाया राशि व ब्याज़ खातें के सामने उल्लिखित हैं।

ऋणी / बंधककर्ता / ज़मानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विवरण निम्नुसार हैं:–

क्र. सं.	ऋणी / बंधककर्ता / ज़मानतकर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	डिमाण्ड नोटिस की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
शाखा : लालबंगला शाखा, 53 ए (बी) चन्द्र नगर, लाल बंगला कानपुर, ई–मेल: iob3233@iob.in			
1.	**ऋणी– मेसर्स वी के कलेक्शन, प्रोप. अमन जायसवाल पुत्र विनोद कुमार जायसवाल**, 347 काजीखेड़ा लालबंगला कानपुर–208007 व युनिट का पता– 160 हरजेंद्र नगर एन–2 चौराहा के पास, लालबंगला कानपुर–208007 **ज़मानतकर्ता व बंधककर्ता– श्री विनोद कुमार जायसवाल** निवासी 347 काजीखेड़ा लालबंगला कानपुर–208007	सभी भाग और हिस्से भूमि व भवन का **क्षेत्रफल–8.92 वर्ग मी.** स्थित शॉप नं. 18/19 ब्लॉक कैनाल रोड पटरी, कानपुर नगर, पीन–208001, **श्री विनोद कुमार जायसवाल पुत्र स्व. रामेश्वर प्रसाद जायसवाल के नाम पर, क्षेत्रफल चौहद्दी:– पूर्व**–शॉप नं. 18, **पश्चिम**– शॉप नं. 22 व 23, **उत्तर**–शॉप नं. 16, **दक्षिण**–2.40 मीटर चौड़ी रोड **क्षेत्रफल–8.92 वर्ग मी.**	13.04.2021 / 24.08.2021 / **रू 15,41,764/–** दिनांक 31.07.2021 तक +भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे आदि
शाखा : मॉल रोड शाखा, 17/9, गर्ग नरोन्हा कॉम्पलेक्स, मॉल रोड, कानपुर–208001, ई–मेल: iob0478@iob.in			
2.	**श्री हिमांशु गुप्ता (ऋणी व बंधककर्ता) व श्रीमती अपूर्वा गुप्ता (ऋणी व बंधककर्ता)** दोनों निवासी फ्लैट नं. 302, सिल्वरलाइन अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 9, सी–ब्लॉक, श्याम नगर कानपुर–208013	सम्पत्ति के सभी भाग और हिस्से निहित फ्लैट नं. एफ–2, प्रथम तल पर, "आकाश टॉवर" प्लॉट नं. 1/37–ए, ब्लॉक –ई, सुजत गंज, श्याम नगर कानपुर नगर, **फ्लैट की चौहद्दी:–उत्तर**–प्लॉट नं. 1/38, **दक्षिण**– प्लॉट नं. 1/37ए, **पूर्व**–बालकनी उसके बाद प्लॉट नं. 1/43, **पश्चिम**– फ्लैट नं. एफ–1 उसके बाद 12.19 मी. चौड़ी सरकारी रोड, **पूरे भवन की चौहद्दी:–उत्तर**–प्लॉट नं. 1/38, **दक्षिण**– प्लॉट नं. 1/37ए, **पूर्व**–प्लॉट नं. 1/43, **पश्चिम**– 12.19 मी. चौड़ी सरकारी रोड, **निर्मित क्षेत्र 112.00 वर्गमीटर है। और भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्सा 33.44 वर्गमीटर है।**	25.05.2021 / 24.08.2021 / **रू 36,89,606.13** +भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर एवं अन्य खर्चे आदि

दिनांक: 28.08.2021 | स्थान: कानपुर | प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

आरोपित जीजा ने अपनी पत्नी को भी किया मरणासन्न

लखनपुर में 1800 रुपये के विवाद में साले की हत्या

सनसनीखेज

कानपुर | संवाददाता

राजा की फाइल फोटो।

आरोपित जीजा राकेश।

कानपुर के लखनपुर में 18 सौ रुपए के विवाद में दिव्यांग जीजा ने साले की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोपित ने अपनी पत्नी को भी मरणासन्न कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित तीनों बेटियों को लेकर फरार हो गया। पुलिस-फोरेंसिक टीम ने आलाकत्ल कब्जे में लेकर घटनास्थल को सील कर दिया।

अरुण श्रीवास्तव के मकान में किराए पर रहने वाला राकेश शटरिंग में सरिया का जाल बनाने का काम करता था। वह पत्नी सोनी और बेटियों सलोनी, शिवांगी और नैना के साथ रहता था। 21 अगस्त को राकेश से 1800 रुपए लेकर सोनी रक्षाबंधन पर मायके फतेहपुर के जौनपुर स्थित शाहा गांव गई थी। मंगलवार रात वह छोटे भाई राजा के साथ घर लौटी। राकेश सोनी से 1800 रुपए वापस करने की बात कहने लगा। शुक्रवार तड़के राकेश सोनी को पीटने लगा तो राजा ने बीच-बचाव किया। इस पर राकेश ने उसकी गर्दन और सिर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर मार डाला।

जब तक सांसें चलती रहीं, राजा पर करता रहा वार

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राकेश धारदार हथियार से तब तक वार करता रहा जब तक राजा के प्राण नहीं निकल गए। उसके सिर पर 7–8 वार मिले हैं। सिर की पांच हड्डियां टूट गईं। कोमा में जाने से उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों की मानें तो जब मोहल्ले के लोग सुबह छह बजे अपने घरों के बाहर निकले तब सोनी सड़क पर लहूलुहान हालत में कराह रही थी। लहूलुहान हालत में सोनी को देख पड़ोसियों ने मकान मालिक समेत कंट्रोल रूम फोन कर पुलिस को सूचना दी। वहीं, शकुंतला ने बताया कि पहले तो उसकी बेटी को अकेले ही जाना था लेकिन उसने राकेश और बेटियों के लिए दाल–चावल और अन्य राशन भी भिजवाया था जिसे लेकर बेटा राजा जीजा के घर पहुंचा था। उसे पता होता कि जीजा बेटे को मार देगा तो वह कभी न भेजती। उधर, सोनी की मां शकुंतला देवी ने बताया कि उनकी बेटी ने किसी पड़ोसी के मोबाइल से सुबह 6 बजे फोन कर उसे घटना की जानकारी दी।

अपने शहर में

सुबह : • **10 बजे**- सीएसजेएमयू में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा • 10:30 बजे- स्वदेशी जागरण मंच का विचार वर्ग बाल भवन में • 11 बजे- दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन, गुजैनी में श्री कृष्ण जन्मोत्सव • 11 बजे- बाबूपुरवा कोतवाली में मुनव्वर राणा के खिलाफ हिंदू जन समन्वय समिति का विरोध-प्रदर्शन

दोपहर
• 1 बजे- यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी कुमार केशव द्वारा निर्माण कार्यों की समीक्षा • 4 बजे- परमट मंदिर के पास एमएलसी सलिल विश्नोई द्वारा सड़क का भूमि पूजन • 4 बजे- लाजपत भवन में विश्व हिन्दू परिषद का स्थापना दिवस समारोह

शाम
• 7:30 बजे- केडी पैलेस मैकराबर्टगंज में कानपुर व्यापारी एसोसिएशन का वार्षिक मिलन समारोह

पुलिसकर्मियों से बदसलूकी पर हटाए गए डीसीपी पूर्वी

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

पुलिसकर्मियों से बदसलूकी और अनुशासनहीनता के चलते डीसीपी पूर्वी अनूप कुमार सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री ने सीधे कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद उन्हें डीजीपी कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं ललितपुर के एसपी रहे प्रमोद कुमार को कानपुर में तैनात किया गया है।

कानपुर आने के साथ ही डीसीपी अनूप कुमार सिंह का विवादों से नाता जुड़ गया था। पीड़ितों की सुनवाई में रुचि न दिखाना, पुलिसकर्मियों से अभद्र भाषा का प्रयोग और शाम को सात बजे के बाद अधिकारियों के फोन रिसीव न करना इनमें शामिल रहा। इन्हीं वजहों से वरिष्ठ अधिकारियों में भी नाराजगी थी। चकेरी में 23 अगस्त की रात कार के अंदर एक ड्राइवर का शव मिला था।

पुलिस सूत्रों की मानें तो इस दौरान डीसीपी पूर्वी अनूप कुमार सिंह ने वायरलेस पर इंस्पेक्टर से अभद्र भाषा में बात की। इसके बाद चौकी इंचार्ज से भी अभद्रता की। उनके व्यवहार से दुखी दरोगा ने नौकरी छोड़ने की तैयारी कर ली थी।

प्रमोद कुमार डीसीपी पूर्वी!

अनूप कुमार सिंह को हटाने के साथ ही ललितपुर के एसपी प्रमोद कुमार को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनाती दी गई है। उन्हें डीसीपी पूर्वी का चार्ज सौंपे जाने की चर्चा है।

कानपुर विकास प्राधिकरण — आवश्यक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड सं0–130, ब्लाक–एन, स्कीम–2, योजना किदवई नगर कानपुर, क्षेत्रफल 356 वर्गगज को विरासतन के आधार पर नामान्तरण किये जाने हेतु श्री आदित्य नाथ उप्पल ने आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की फ्रीहोल्ड डीड दिनांक 15.03.03 को श्री ओमदत्त उप्पल पुत्र श्री जे0आर0 उप्पल एवं श्रीमती वीणा उप्पल पत्नी श्री ओमदत्त उप्पल के पक्ष में निष्पादित की गई थी। उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार श्रीमती वीणा उप्पल की मृत्यु दिनांक 04.07.14 को हो चुकी है। उप जिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर द्वारा निर्गत पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र सं0–7427/अह0फौज0/21, दिनांक 15.07.21 के अनुसार स्व0 वीणा उप्पल के निम्नलिखित वारिसान है:– (1) श्री ओमदत्त उप्पल, मृतका का पति, उम्र 84 वर्ष। (2) श्री आदित्य नाथ उप्पल, मृतका का पुत्र, उम्र 54 वर्ष। (3) श्रीमती रिचा आनन्द, मृत्का की पुत्री (विवा.), उम्र 52 वर्ष। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान नहीं है। क्रम सं0 01 व 03 पर अंकित वारिसानों ने क्रम सं0 – 02 के पक्ष में नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड पर उपरोक्त सदस्य के पक्ष में नामान्तरण किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो या कोई अन्य भूखण्ड पर अपना अधिकार रखता हो तो प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के अन्दर लिखित आपत्ति साक्ष्यों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय विक्रय जोन–4 में दाखिल कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा तथा प्रश्नगत भूखण्ड पर मृतका वीणा उप्पल के स्थान पर श्री आदित्य नाथ उप्पल का नाम बतौर स्वामी उनके पिता श्री ओमदत्त उप्पल के साथ संयुक्त रूप से पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। **मनोज कुमार उपाध्याय, अधि0अभि0 प्रभारी (जोन–4)**

कब्ज, गैस? पेट करे साफ
टेक्नोफार्म की कैस्टोफीन®
टेबलेट व हर्बल चूर्ण RELIEF FROM CONSTIPATION
TECHNOPHARM (P) LTD. Ph.: 08601841515

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक
आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

सर्वसाधारण सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की केशवपुरम योजना संख्या 01 कानपुर में स्थित भूखण्ड संख्या P-202 के आवंटी राजेन्द्र कुमार द्वारा उक्त सम्पत्ति का फ्री होल्ड विक्रय विलेख कराने के पश्चात सम्पत्ति का विक्रय श्रीमती मिथलेश कुमारी के पक्ष में कर दिया गया। श्री सुधीर कुमार सिंह निवासी W.B.-61 रोडवेज कालोनी रावतपुर स्टेशन कानपुर ने सम्पत्ति के क्रेता श्रीमती मिथलेश कुमारी की मृत्यु दिनांक 24.02.2019 को हो जाने की सूचना देते हुए सम्बन्धित सम्पत्ति को अपने पक्ष में अन्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि यदि सन्दर्भित सम्पत्ति संख्या P-202 को श्री सुधीर कुमार सिंह के पक्ष में नामान्तरित करने में किसी को कोई आपत्ति है, तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर साक्ष्य सहित अपना आपत्ति पत्र कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स कल्यानपुर, कानपुर में प्रस्तुत करें, अन्यथा उक्त अवधि के पश्चात दावा कर्ता (Claiment) के पक्ष में नामान्तरण कर दिया जायेगा। जिसके लिये परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।

(पी0के0 उपाध्याय)
कृते आवास आयुक्त

युवक ने जहर खाकर दे दी जान

कानपुर। हरबंश मोहाल के सीताराम मोहाल निवासी होम्योपैथिक डॉ. कप्तान सिंह वर्मा का हूलागंज में क्लीनिक है। उनके बेटे हर्ष (25) ने गुरुवार देर रात जहरीला पदार्थ खा लिया। आनन-फानन उसे पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों हर्ष डिप्रेशन में था।

दहेज न देने पर मारने का प्रयास 5 लोगों पर केस

कानपुर। बजरिया में गुरुवार देर रात दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने महिला को जान से मारने का प्रयास किया। आरोपितों ने उनके वृद्ध माता-पिता और भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच ससुरालीजनों पर हत्या का प्रयास सहित गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।

अनवरगंज सोहनलाल कंपाउंड निवासी मो. आलम ने बताया कि दस साल पहले उन्होंने बहन जीनत की शादी नाला रोड निवासी रियाजत से की थी। आरोप है कि शादी के बाद आरोपित ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे। वह गुरुवार देर रात देवर शराफत, अरशद, जेठ सखावत व जैनब और शमसुन ने उसकी बहन का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। किसी तरह उसने वहां से भागकर जान बचाई और उन्हें फोन पर जानकारी दी तो वह पिता अब्दुल खालिक व मां के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान आरोपितों ने बहन जीनत के साथ उसे व उसके वृद्ध माता-पिता को पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजकर भाई आलम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की है। बजरिया इंस्पेक्टर ने बताया कि भाई की तहरीर पर ससुरालीजनों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

सिगरेट के पैसे मांगने पर चापड़ से हमला मां और बेटी घायल

चकेरी। जाजमऊ में सिगरेट के पैसे मांगने पर दबंग ने महिला दुकानदार और नाबालिग बेटी पर हमला कर दिया। हसिया लगने से किशोरी लहूलुहान हो गई। मां की पीठ पर वार किा गया। पुलिस ने दोनों को हैलट में भर्ती कराया। मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस और आरआरएफ तैनात की गई।

संजय नगर निवासी सोमवती निषाद घर के बाहर ही मसाला की दुकान लगाती है। उसने बताया कि घर पर केवल वह और बेटी रोशनी थे। गुरुवार देर रात महबूब खां उर्फ राजू आया और सिगरेट मांगने लगा। बेटी ने उसे सिगरेट दी। पैसे नहीं देने पर सिगरेट वापस ले ली। कुछ देर बाद वह हसिया लेकर आया और बेटी पर हमला कर दिया। उसके कान और गर्दन में वार कर दिए। चीख सुनकर सोमवती ब चाने दौड़ी तो उन पर भी हमला कर दिया। हसिया सोमवती की पीठ पर लगी। वहीं, महबूब की पत्नी अन्नू और मां हसीबा ने पथराव कर दिया। इलाकाई लोग पहुंचे तो आरोपित भाग निकला। एडीसीपी पूर्वी सोमेंद्र मीणा पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बताया कि महबूब, उसकी पत्नी व मां पर मारपीट, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। महबूब को घण्टाघर से पकड़ लिया गया है। इलाके के लोगों ने बताया कि दो माह पहले भी महबूब का किसी बात को लेकर सोमवती से विवाद हो गया था।

JKcement — जे.के. सीमेंट लिमिटेड

सीआइएन: L17229UP1994PLC017199
पंजीकृत कार्यालय: कमला टावर, कानपुर–208001, उ.प्र.
टेलीफोन: +91 512 2371478/81 फैक्स: +91 512 2399854
ईमेल: shambhu.singh@jkcement.com वेबसाइट: www.jkcement.com

डाक मतपत्र सूचना

जे.के.सीमेण्ट लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनीज एक्ट, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 व अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत सपठित कंपनीज (मैनेजमेंट व एडमिनिस्ट्रेशन) नियम 2014 के नियम 20 और 22 सपठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 व सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 सामान्य व विशिष्ट प्रस्ताव को पारित करने के संबंध में "कोविड–19 महामारी की आशंका के चलते हुए, कंपनीज एक्ट 2013 व नियमानुसार पारित करने के संबंध में जारी स्पष्टीकरण" व सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर 2020 व सामान्य परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर 2020, तथा सामान्य परिपत्र संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 फ्रेमवर्क को बढ़ाने संबंधी 31 दिसम्बर, 2021 तक कारपोरेट एफेयर्स मंत्रालय, भारत सरकार (M.C.A.) परिपत्र और अन्य समस्त प्रावधानों व नियमों के अन्तर्गत कंपनीज एक्ट 2013 सिक्यूरिटीज व एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग आब्लीगेशन व डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) रेगुलेशन 2015 (SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन) व समय–समय पर लागू अन्य संबंधित वैधानिक पत्र, संशोधन, पुर्नलागू के अन्तर्गत कंपनी सदस्यों की स्वीकृति सम्बन्धी सामान्य/विशेष प्रस्ताव अंतर्गत रेगुलेशन 44 लिस्टिंग रेगुलेशन व धारा 108 व 110 अधिनियम के अन्तर्गत व तदानुसार M.C.A. के नियमानुसार निम्न उल्लिखित आइटम जो कि डाक मत पत्र सूचना दिनांक 26 अगस्त, 2021 एक्सप्लेनेटरी नोट के साथ उल्लिखित है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहती है।

प्रस्तावों का विवरण

1. श्री सतीश कुमार कालरा (DIN- 01952165) तथा श्री मुदित अग्रवाल (DIN- 07374870) का दिनांक 14.08.2021 से 5 वर्षों के लिए एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।

2. श्री अजय नारायण झा (DIN- 02270071) का दिनांक 28.05.2021 से दिनांक 27.05.2026 तक की 5 वर्षों की पदावधि के विषय में संशोधन।

3. वर्तमान अनुच्छेद संख्या 101 तथा 108 के स्थान पर नए अनुच्छेद संख्या 101 तथा 108 का प्रतिस्थापन।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण डाक व कोरियर सेवाओं की अनियमित सुविधा के कारण व M.C.A. परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने सूचना दिनांक 27 अगस्त, 2021 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समस्त सदस्यों को जिनके ई–मेल पते कंपनी में पंजीकृत हैं या डिपाजिटर्स/डिपाजिटरी प्रतिभागी या कंपनी के रजिस्टर व ट्रान्सफर एजेंट यानि जेके इन्टरप्राइजेज लिमिटेड (JEL) व जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/बेनीफिशियल स्वामी की सूची में दर्ज है जो नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) व सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (CDSL) में बुधवार 25 अगस्त, 2021 कटऑफ डेट तक जो कि दूरस्थ ई वोटिंग के लिये मान्य है भेजी जा चुकी है।

जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये है और इस कारण उन्हें सूचना नहीं प्राप्त हुई है, अस्थाई रूप से अपना पता JEL में पंजीकृत करवा सकते हैं जिससे सदस्य सूचना की साफ्ट कापी व दूरस्थ ई वोटिंग का तरीका यूजर आईडी व पासवर्ड ई वोटिंग के लिये प्राप्त कर सकेंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिये सदस्य shambhu.singh@jkcement.com या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com, या investorservices@jaykayenterprises.com पर संपर्क कर सकते हैं।

एतदद्वारा सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के संबंध में, अपने ईमेल पते के स्थायी पंजीकृत के लिये अपने डिपाजटरी प्रतिभागियों से संपर्क करे एवं भौतिक होल्डिंग के संबंध में ईमेल आई डी prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com, या investorservices@jaykayenterprises.com पर संपर्क करें या जेके इंटरप्राइजेज, कमला टावर, कानपुर को लिखें।

जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते पहले से पंजीकृत करवा रखे हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने ईमेल पते का विधिकरण अपने डिपाजिटरीज/डिपाजिटरीज प्रतिभागी/ JEL से करा लें ताकि उन्हें सूचना व अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके ईमेल पते पर भेजे जा सकें।

निदेशक मंडल द्वारा श्री एस.के.गुप्ता प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्य संख्या FCS 2589; C.P. No. 1920) को डाक मत पत्र की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिये स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया है। संबंधित अधिनियम SEBI लिस्टिंग रेगुलेशन व M.C.A. परिपत्रों के अनुसार कंपनी ने CDSL की सेवायें दूरस्थ वोटिंग के लिये सदस्यों की सुविधा के लिये ली हैं। कंपनी के सदस्यों की एतदद्वारा सूचित व अनुरोध किया जाता है कि:

(a) सदस्यगण जिनके पास फिजिकल शेयर या डिमेटेरियलाइज्ड रूप में है वे केवल इलेक्ट्रानिक विधि से जैसे दूरस्थ ई वोटिंग द्वारा मतदान करेंगे। M.C.A. परिपत्रों के अनुसार सूचना की हार्ड प्रति, डाक मत पत्र समेत व स्वयं संबोधित पोस्टज शुल्क व लिफाफे समेत नहीं भेजी जायेगी। सदस्यों की सहमति या असहमति प्रस्ताव पर केवल दूरस्थ ई वोटिंग प्रणाली द्वारा M.C.A. परिपत्रों के अनुसार की जायेगी।

(b) दूरस्थ ई वोटिंग बुधवार 1 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे से शुरु होगी।

;c) दूरस्थ ई वोटिंग गुरुवार 30 सितम्बर, 2021 सायं 5:00 बजे(IST) समाप्त होगी। ई वोटिंग की सुविधा इसके उपरान्त समाप्त हो जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि वोटिंग पीरियड के बाद दिये गये वोट अवैध माने जायेंगे।

(d) सदस्यगण वोटिंग पीरियड से समय इलेक्ट्रानिक तरीके से वेबसाइट: www.evotingindia.com और अपने यूजर आईडी व पासवर्ड को लॉग इन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी/विधि डाक मत पत्र द्वारा दूरस्थ ई वोटिंग की सूचना के नोट के साथ दी गई है।

(e) सदस्यों का वोटिंग अधिकार उनके पेडअप इक्वीटी शेयर पूंजी के अनुपात के आधार पर कंपनी के कटआफ डेट के अनुसार होगा। किसी भी व्यक्ति के उपरोक्त तिथि पर सदस्य न होने पर सूचना केवल एक जानकारी मानी जायेगी।

(f) चेयरपर्सन या कोई निदेशक या चेयरपर्सन द्वारा अधिकृत कम्पनी सेक्रेटरी वैधानिक समय सीमा में डाक मत पत्र का परिणाम घोषित करेगा। परिणाम स्क्रूटिनाइजर की रिपार्ट के साथ कंपनी के वेबसाइट जैसे www.jkcement.com, www.evotingindia.com स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com व www.nseindia.com डिपाजिटरी के वेबसाइट पर पोस्ट की जायेगी। कोविड–19 महामारी के कारण केन्द्र/राज्य सरकारों व संबंधित अधिकारियों के द्वारा जारी निर्देश व नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनी परिणाम अपने पंजीकृत कार्यालय में भी डिस्पले करेगी।

(g) किसी सदस्य के सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में वह ई मेल shambhu.singh@jkcement.com को करें या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com को लिखें या कंपनी की वेबसाइट www.jkcement.com या www.evotingindia.com से सूचना डाउनलोड करें।

किसी भी जानकारी या दूरस्थ ई वोटिंग की असुविधा के संबंध में सदस्य कंपनी को shambhu.singh@jkcement.com पर लिखें या श्री प्रभात मिश्रा, कंपनी सचिव जेके इन्टरप्राइजेज लिमिटेड यूनिट जे.के. सीमेण्ट लिमिटेड, कमला टावर, कानपुर–208001 उ.प्र. पर संपर्क करें या prabhat.mishra@jakayenterprises.com अथवा rc.srivastava@jkcement.com को ईमेल करें। सदस्यगण अथवा किसी भी प्रकार की सहायता के लिये www.evotingindia.com के Help & FAQs सेक्शन से भी संपर्क कर सकते हैं।

कृते **जे.के. सीमेंट लिमिटेड**
(शम्भू सिंह)
प्रमुख– विधि एवं कम्पनी सचिव
आईसीएसआई मेम्बरशिप न0 एफसीएस 5836

स्थान: कानपुर
दिनांक: 27 अगस्त, 2021